भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 515
दिनांक 06.02.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए
जल जीवन मिशन के अंतर्गत नल जल कनेक्शन

515. डॉ. निशिकान्त दुबेः
श्री जिया उर रहमानः

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) सरकार द्वारा देश में जल जीवन मिशन (जेजेएम) के अंतर्गत अब तक कुल कितने नल जल कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं और इस संबंध में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी प्रगति हुई है:
(ख) क्या सरकार का वर्तमान वर्ष के अंत तक जल जीवन मिशन को समयबद्ध तरीके से पूरा करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जहां शत-प्रतिशत घरों को जल जीवन मिशन के अंतर्गत नल जल कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं और पिछड़ रहे राज्यों को नल जल कनेक्शन प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) से (ग) भारत सरकार देश के सभी ग्रामीण परिवारों को पर्याप्त मात्रा में, निर्धारित गुणवत्ता की और नियमित और दीर्घकालिक आधार पर सुरक्षित और पीने योग्य नल जल आपूर्ति के लिए प्रावधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में, अगस्त 2019 में, भारत सरकार प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल जल आपूर्ति का प्रावधान करने के लिए राज्यों के साथ भागीदारी में जल जीवन मिशन (जेजेएम) लागू कर रही है।

जेजेएम के शुभारंभ के समय, देश के 3.23 करोड़ ग्रामीण परिवारों (16.71%) के पास नल जल कनेक्शन थे। तब से, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लगभग 12.21 करोड़ (75.68%) परिवारों को

उनके घरों में नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं और 03.02.2025 की स्थिति के अनुसार, कुल 19.37 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 15.45 करोड़ (79.75%) परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं।

इसी तरह, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) द्वारा कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (अमृत) का कार्यान्वयन किया जा रहा है, जिसे 25 जून 2015 को और 01 अक्टूबर 2021 को अमृत 2.0 को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सभी शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी)/कस्बों/शहरों में 5 वर्ष की अवधि के लिए शुरू किया गया था, जिसमें *अन्य बातों के साथ-साथ* घरों को सुरक्षित जल आपूर्ति का प्रावधान शामिल है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 182 लाख नए नल कनेक्शनों को शामिल करने के लिए नियोजित अनुमोदित परियोजनाओं में से 77 लाख नल जल कनेक्शन अमृत के तहत और अमृत 2.0 के तहत प्रदान किए गए हैं।

जल राज्य का विषय होने के कारण जल जीवन मिशन के अंतर्गत आने वाली स्कीमों/कार्यों सहित पेयजल आपूर्ति स्कीमों/कार्यों की आयोजना, अनुमोदन, कार्यान्वयन, प्रचालन और रखरखाव का उत्तरदायित्व राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों का है। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों की सहायता करती है। अब तक, 11 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र नामत: गोवा, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, दादरा एवं नगर हवेली और दमण एवं दीव, हरियाणा, तेलंगाना, पुदुचेरी, गुजरात, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम 'हर घर जल' राज्य/संघ राज्य क्षेत्र बन गए हैं।

इसके अलावा, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सभी घरों को नल जल आपूर्ति प्रदान करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जिनमें संयुक्त विचार-विमर्श और वार्षिक कार्य योजना को अंतिम रूप देना, कार्यान्वयन की नियमित समीक्षा, क्षमता निर्माण और ज्ञान साझा करने के लिए कार्यशालाएं/सम्मेलन/वेबिनार, तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए बहु-विषयक टीम द्वारा क्षेत्र दौरे आदि शामिल हैं।

पारदर्शिता और प्रभावी निगरानी लाने के लिए, सार्वजनिक डोमेन में एक ऑनलाइन 'डैशबोर्ड' बनाया गया है जिसके लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, जिला और गांव-वार प्रगति के साथ-साथ नल जल आपूर्ति के प्रावधान की स्थिति भी देखी जा सकती है। डैशबोर्ड पर पहुँचा जा सकता है:

https://ejalshakti.gov.in/jjmreport/JJMIndia.aspx

****